भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-347

उत्तर देने की तारीख-25/03/2026

माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का कम होना

347 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) अभी भी कम है, जोकि वर्ष 2024-25 में क्रमशः 79 प्रतिशत और 58 प्रतिशत दर्ज किया गया है;

(ख) क्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में यह नोट किया गया है कि माध्यमिक कक्षाओं में कम नामांकन का कारण आंशिक रूप से माध्यमिक विद्यालयों की सीमित उपलब्धता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 17 प्रतिशत के लगभग विद्यालय ही माध्यमिक विद्यालय हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 38 प्रतिशत है; और

(घ) यदि हां, तो माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने तथा बच्चों के नामांकन और उन्हें विद्यालयों में बनाए रखने में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

'माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का कम होना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एस. निरंजन रेड्डी द्वारा दिनांक 25/03/2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 347 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

(क): शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) 2024-25 के अनुसार, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) क्रमशः 78.7 प्रतिशत और 58.4 प्रतिशत है।

(ख) और (ग): यूडाइज़+ 2024-25 के अनुसार, शिक्षा के स्तर के अनुसार स्कूलों की संख्या और प्रतिशत निम्नानुसार हैं:

स्थान के प्रकार	स्कूलों की संख्या और प्रतिशत		
	कुल स्कूल	माध्यमिक स्कूलों की संख्या*	माध्यमिक स्कूलों का प्रतिशत
समग्र	1471473	306942	20.9
ग्रामीण	1210062	207316	17.1
शहरी	261411	99626	38.1

* एनईपी संरचना के अनुसार

वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा "अभिनव शिक्षाशास्त्र और सामुदायिक भागीदारी" शीर्षक के तहत यूडाइज़+ डेटा पर आधारित है।

(घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिसंख्य स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं। केन्द्र सरकार समग्र शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक का एक व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा अभिगम, निष्पक्षता और गुणवत्ता में सुधार करना है और इसे संशोधित समग्र शिक्षा के रूप में एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। एनईपी, 2020 के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के अभिगम में सुधार करना और 100% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) प्राप्त करना है। इसके मुख्य मध्यवर्तन इस प्रकार हैं:

अवसंरचना का विकास: समग्र शिक्षा कार्यक्रम नए स्कूलों, अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण और स्कूल की मौजूदा बुनियादी अवसंरचना में सुधार के लिए निधि प्रदान करता है ताकि सभी बच्चों की पास वाले स्कूल में अभिगम सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आईसीटी प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कौशल प्रयोगशालाओं, टिंकरिंग प्रयोगशालाओं, एसटीईएम प्रयोगशालाओं, एकीकृत विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया है।

स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए प्रावधान: समग्र शिक्षा पिछड़े समुदाय के बच्चों सहित स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित करने और उन्हें नामांकित करने तथा शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाना आसान बनाने के लिए लक्षित मध्यवर्तन दिए जाने पर केंद्रित है।

परिवहन और आवासीय सुविधाएं: यह कार्यक्रम सुरक्षित और सुलभ परिवहन के साथ-साथ आवासीय सुविधाओं के प्रावधान का भी समर्थन करता है, ताकि सुदूर और वंचित क्षेत्रों के बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाने में समर्थ हो सकें।

साझेदारी और सामुदायिक जुड़ाव: समग्र शिक्षा स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कार्यक्रम समुदाय की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी है और शिक्षा प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ाता है।

समावेशिता और अपेक्षाकृत: उच्च जीईआर में योगदान करते हुए शिक्षा हेतु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध है।

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्र: व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, अल्पसेवित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं।

विभिन्न व्यवसायों के बारे में बच्चों को एक्सपोजर और इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए विकास कार्य करने के लिए कौशल और अन्य सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ अभिसरण पर अधिक जोर दिया गया है। सरकारी स्कूलों और नामांकन एवं मांग से जुड़े ग्रांट/जाब रोल्स की संख्या/सेक्शनस के अतिरिक्त सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को भी कौशल शिक्षा के तहत सहायता प्रदान की गई।

पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने हेतु लिए विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी दिया जाता है जिनमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल स्थापित करना/उनका सुदृढ़ीकरण करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी)** की स्थापना और उनका उन्नयन तथा संचालन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, सामयिक छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और निःशुल्क यूनिफॉर्म, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वास्ते सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान भी दिया जाता है।

समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूली शिक्षा के सार्वचनीकरण के लिए विभिन्न कार्यकलाप शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है जिनमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने/सशक्त करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत

उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण, पात्र बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाना शामिल हैं।

स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-उपयुक्त दाखिला के लिए विशेष प्रशिक्षण और अपेक्षाकृत बड़े बच्चों के लिए आवासीय के साथ-साथ गैर-आवासीय प्रशिक्षण, सामयिक छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा को भी **एनआईओएस/एसआईओएस** के माध्यम से उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए सहायता सहित औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में स्कूल न आने वाले बच्चों को लाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्रोन्मुखी घटक के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित और मूल्यांकन, सहायक यंत्रों और उपकरणों, ब्रेल किट और पुस्तकों, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को छात्रवृत्ति आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना में सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और प्रारंभिक स्तर पर सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करने का प्रावधान है जिसमें ब्रिजिंग सामग्री के साथ जनजातीय भाषाओं के लिए प्राइमर/पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी), खेल के लिए अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, समग्र स्कूल अनुदान, शिक्षक प्रशिक्षण, टीईआई के सुदृढ़ीकरण, मूल्यांकन प्रकोष्ठ, बैगलेस दिवस, स्कूल परिसरों, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, पाठ्यचर्या और शैक्षणिक सुधार आदि जैसे गुणात्मक और अभिनव मध्यवर्तनों का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (02.03.2026 तक) के लिए समग्र शिक्षा के तहत, कुल वास्तविक केंद्रीय रिलीज इस प्रकार है:-

वर्ष	वास्तविक रिलीज (लाख रुपये में)
2023-24	3238278.58
2024-25	3445820.90
2025-26	2315850.25

वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के संदर्भ में यूडाइज़+ पर परिलक्षित उपरोक्त मध्यवर्तन नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	माध्यमिक विद्यालय	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
2020-21	151946	139520
2021-22	150452	142398
2022-23	145452	150289
2023-24	143978	158886
2024-25	142749	164193

यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक शिक्षा के स्तर के अनुसार ड्रॉपआउट दर नीचे दी गई है:

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक		
	छात्रा	छात्र	समग्र	छात्रा	छात्र	समग्र	छात्रा	छात्र	समग्र
2020-21	0.7	0.8	0.8	2.3	1.6	1.9	14.2	14.9	14.6
2021-22	1.4	1.6	1.5	3.3	2.7	3.0	12.3	13.0	12.6
2022-23	7.8	7.8	7.8	8.3	7.9	8.1	15.4	17.3	16.4
2023-24	1.7	2.1	1.9	5.3	5.2	5.2	12.6	15.5	14.1
2024-25	0.0	0.8	0.3	2.9	4.1	3.5	9.6	13.3	11.5

ध्यातव्य है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर ड्रॉपआउट दर 2022-23, 2023-24 और 2024-25 से कम हो गई है जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बेहतर प्रतिधारण का संकेत है।

यूडाइज़+ पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वलौकिक अभिगम में सुधार करने में प्रगति हुई है। यह वर्ष 2020-21 और 2024-25 के सकल अभिगम अनुपात (जीएआर) से स्पष्ट होता है:

वर्ष	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
2020-21	95.48	72.12
2021-22	95.48	90.55
2022-23	96.09	91.65
2023-24	95	94.67
2024-25	95.35	94.98

सकल अधिगम अनुपात (जीएआर) उस वर्ष के कुल गांवों/बस्तियों में से एक वर्ष में विनिर्दिष्ट मानदंड के भीतर स्कूल वाले कुल गांव/ बस्तियां है।

एनईपी, 2020 सभी के लिए अभिगम और समावेशिता सुनिश्चित करने के विचार पर आधारित है और इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) प्राप्त करना है।

******